

दुर्क है।

4) जल ससांघनी का संरंहाण किस प्रकार किया जा सकता है।

जल ससांघनी की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती दुर्क मांग, तेजी से फैलते हुए ससूषण तथा इसकी स्थानिक रूप से असांमानता के कारण इसका संरंहाण अनिवार्य हो गया है। जल ससांघनी के संरंहाण के लिए निम्नलिखित तीन कदम आवश्यक हैं।

1. जल बचत की तकनीक तथा विधियों का विकास करना।
 2. जल की ससूषण से बचना।
 3. जल - ससांघन विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग की प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- जल ससूषण का निवारण - जैसा कि पहले बताया गया है,

धरातलीय रूप से सीमित - त्रीनी प्रकार के जल का ससूषण बड़े पैमाने पर हो रहा है।

केंद्रीय ससूषण निगंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.), राज्य ससूषण निगंत्रण बोर्ड (एस. पी. सी. बी.) के साथ मिलकर 507 स्तेशनी की राष्ट्रीय जल ससांघन की मुषा गुणवत्ता का मानीकरण कर रहा है। इन संस्थांनी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जैव और जीवाणविक ससूषण लक्ष्यों में ससूषण का मुख्य स्तौत है। दिल्ली और इटावा

Geography

(4)


के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है दूसरी प्रदूषित नदियाँ अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गौमती, मद्रास में काली, अडगार, कूआम (संघर्ष विस्तार), वेङ्कट, हैदराबाद में मुसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा है इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में भी जल प्रदूषण जल में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है सरकार ने जल की प्रदूषण से बचाने के लिए कई वैधानिक व्यवस्थाएँ की हैं इनमें से जल अधिनियम 1974 (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) और पर्यावरण सুরक्षा अधिनियम 1986 प्रमुख हैं। दुर्भाग्य से उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया। इस कारण से 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों एवं झीलों के किनारों पर स्थापित हो गए। जल उपकरण अधिनियम 1977 में लागू किया गया था इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था। इसका भी बहुत कम प्रभाव पड़ा।

जल का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग — ताज़े जल की

उपलब्धता में पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग द्वारा भी सुधार लाया जा सकता है। शीतल उपशिष्ट जल; जैसे - निम्न गुणवत्ता वाले जल को उद्योगों में शीतलन तथा अग्निशामन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में स्नान तथा वर्तनी एवं वाहनों की धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इससे उच्च गुणवत्ता-

Geography

(5)



वाले जल की पीने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। जल के पुनः चक्र एवं पुनः उपयोग की क्रिया अभी आरंभिक दौर में ही है, परंतु भविष्य में इसकी विशाल संभावनाएँ हैं।

जल - संभर संबंधन — जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका जल एक बिंदु की ओर संचित होता है, जो कभी सूखा और जल संरक्षण की आवश्यकता निर्धारित करता है। इसमें एक या अनेक गाँव, कृषि योग्य और कृषि अयोग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की जमीनें और किसान शामिल हो जाते हैं। जल-संभर विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों; जैसे - उद्यान कृषि, वानिकी और वन-पधन का समग्र स्वरूप में विकास किया जा सकता है।

जल-संभरता विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, परितंत्रित हानि को रोका जा सकता है और लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा बहुत-से जल-संभर विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। हरियाणा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या की पीने, सिंचन, मात्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संचयन संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परिभाषित लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाए जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में नीबू-मीबू (जल और आष) तथा राजस्थान के अलापर जिले में अरवाली पानी

12-जल संसाधन (1)

1) जल का महत्व की लिखें।

जल एक ऐसा स्रोत है जिसके बिना किसी भी प्राणी और पौधास्पति का जीवन संभव नहीं है कोई भी व्यक्ति खाना के भी बिना कुछ दिन जीवित रह सकता है परन्तु पानी के बिना जीवन असंभव है कई जगह जगहों पर पानी के लिए विवाद भी उत्पन्न हो चुका है यह जल एक ऐसा संसाधन है जो अनवीकरणीय है लेकिन आजकल जल को जिस तरह से हनूषित किया जा रहा है उससे यह पर्यावरण की काफी नुकसान हो रहा है जो लोगों के लिए काफी नुकसान देह है।

Geography

(6)

Date _____
Page _____

जल संचयन के दो मुख्य कार्यक्रम हैं। इनके अंतर्गत लोगों के उद्योग के लिए जल-संचयन के कई कार्यक्रम उठाए गए हैं। लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएँ, जैसे - अंतःक्षयण तालाब ताल की स्प्रिंक की गई हैं और रोक बाँध बनाए गए हैं। तमिलनाडु का एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर धरो में जल संग्रहण संरचना के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी इमारत जल संग्रहण संरचना के बिना नहीं बनाई जा सकती।

जल संचयन संबंधित सभी अपनी आर्थिक अवस्था में ही ही इसके प्रति जनसाधारण को जागरूक करने की आवश्यकता है।

वर्षा जल संग्रहण - भू-जल का वृद्धि पैमाने पर क्षय होना एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे दूर रखने के उपाय करने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में सिंचन के लिए या नगरीय इलाकों में दारू उपयोग एवं उद्योगों के लिए प्रायः जल की कमी रहती है। इस समस्या को हल करने का एक सुगम उपाय, वर्षा जल संग्रहण है। यह मौसम जल के पुनर्निर्माण की बढ़ती की तकनीक है। इस तकनीक में स्थानीय स्तर से वर्षा जल को एकत्र करके भूमि जल स्रोतों में संग्रहित करना शामिल है, जिससे स्थानीय दारू माँग को पूरा किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. जल की निरंतर माँग को पूरा करना,
2. नालियों की शैकनेवाल सेटही जल प्रवाह को कम

3) सिंचाई के लिए जल की मांग की लक्ष्यें।

Ans ->

कृषि में, जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है देश में वर्षा के स्थानिक - सामयिक परिपक्वता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षापिछीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर - पश्चिमी भारत और इण्डस का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनताधिक शुष्कता पाई जाती है इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अर्ध अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई की आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है।

सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की धरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल